(3)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी प्रकरण संख्या 05/2026

बलवीर सिंह पुत्र चिड़िया सिंह जाति मेहरा निवासी वार्ड नंबर 2 पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत पक्का भादवा पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये सरपंच / प्रशासक ग्राम पंचायत पक्का भादवा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पक्का भादवा, पंचायत समिति हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 विरूद्ध नोटिस/आदेश क्रमांक ग्रा.प. 385/25—26 दिनांक 06.02.2026 जिसके अन्तर्गत प्रार्थी के पुराना कब्जा के भूखण्ड को मिथ्या रूप से अतिक्रमण की संज्ञा देकर तुरंत प्रभाव से हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। बमुराद अपास्त किए जाने उक्त आदेश व स्वीकार किए जाने निगरानी प्रार्थना—पत्र।

उपस्थितः— 1. श्री लालचंद वर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01, 02।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

—:निर्णयः—

दिनांकः— 05.05.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव पक्का भादवा के वार्ड नंबर 2 का पुराना निवासी है तथा इस वार्ड में प्रार्थी का लगभग 20 वर्ष पुराना कब्जे का भूखण्ड साईज 35 गुणा 25 फुट है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा उक्त भूखण्ड में झोपड़ी बनाकर पशुपालन करता है। इस भूखण्ड की चतुर्सीमा निम्न प्रकार है— पूर्व 25 फुट रजीराम भाट का कब्जा, पश्चिम 25 फुट किशन बावरी का कब्जा, उत्तर 35 फुट मकान सुभाष भादू, दक्षिण 35 फुट गलीआम। अप्रार्थीगण ने निगरानीधीन नोटिस/आदेश दिनांक 06.02.2026 को पारित कर उक्त भूखण्ड से प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश यह कथन करते हुए पारित किये है कि उक्त भूखण्ड के पास ग्राम पंचायत द्वारा बरसात के पानी की निकासी के लिए बोरवेल बनाया हुआ है जिससे कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थ बोरवेल में जाने से बन्द होने की संभावना है। अप्रार्थीगण द्वारा पारित उक्त आदेश कतई गलत, अनुचित एवं मनमानापूर्ण है तथा अप्रार्थीगण ने अपने हितेषी व्यक्ति को यह भूखण्ड आवंटन करने के आशय से दुर्भावना पूर्वक पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है तथा सन् 2003 से पूर्व से इस भूखण्ड में झुग्गी झोपड़ी का निर्माण कर पशुपालन का काम करता है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार इस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने इस

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

भूखण्ड का आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कथित नोटिस/आदेश में वर्णित बोरवेल प्रार्थी के आधिपत्य व धारण के उक्त भूखण्ड साईज 35 गुणा 25 फुट में नहीं है बल्कि यह बोरवेल प्रार्थी के उक्त भूखण्ड से करीब 30 फुट दूर पूर्व की तरफ रजीराम भाट के कब्जा के भूखण्ड में स्थित है। प्रार्थी के भूखण्ड की पूर्वी सीमा पर बाड़ की हुई है तथा प्रार्थी के भूखण्ड में से कोई कचरा या अपशिष्ट पदार्थ उक्त बोरवेल तक फैलने की कोई संभावना व आशंका नहीं है। कथित नोटिस/आदेश पारित होने से पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया व ना ही सुनवाई का अवसर दिया। चुनौतीधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। प्रार्थी वृद्ध एवं भूमिहीन व्यक्ति है तथा उसके पुत्रों ने प्रार्थी को बेदखल कर रखा है। प्रार्थी के पास प्रश्नगत भूखण्ड के अलावा रिहायश के लिए अन्य कोई भूखण्ड नहीं है तथा यह भूखण्ड नियम 158 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को आवंटित किये जाने में विधिक वर्जना भी नहीं है। यह भूखण्ड आबादी भूमि का भाग है जो अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भी नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण द्वारा पारित नोटिस/आदेश दिनांक 06.02.2026 को अपास्त फरमाया जावे।।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थी सं0 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा जारी अप्रार्थीगण द्वारा पारित नोटिस/आदेश दिनांक 06.02.2026 को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं 01 व 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी ने अभी कुछ दिन पहले ही ग्राम पंचायत की बहुमूल्य आबादी / रिहायशी भूमि पर अतिक्रमण करने की नीयत से एक अस्थाई संरचना सरकनों व प्लास्टिक की शीट लगाकर निर्मित की है। प्रार्थी का इस भू–भाग पर पूर्व में कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी ने इस स्थान पर 20 वर्ष पूर्व के कब्जा होने सम्बंधी मिथ्या कथन किये हैं। वादाधीन भूखण्ड ग्राम पंचायत पक्का भादवां की नियोजित आवासीय योजना के अन्तर्गत आता है। ग्राम पंचायत व राज्य सरकार इस आबादी की भूमि के स्वामी है। प्रार्थी ने अतिक्रमण करने की नीयत से ऐसी अस्थाई संरचना खड़ी की है जिसे हटाया जाना पंचायत व आमजन के हित में है। ग्राम पंचायत पक्का भादवा को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की वैधानिक शक्तियां प्राप्त है। राज्य सरकार की भू–स्वामित्व योजना के तहत खाली पड़े भूखण्डों को जिन्हें ड्रोन द्वारा किये गये सर्वे व तत्पश्चात् बनाये गये ले–आउट प्लान के तहत एक सार्वजनिक नोटिस पंचायत द्वारा अखबार में दिनांक 12.06.2025 को प्रकाशित करवाया गया था व इसके लिये ऐसे व्यक्तियों जो किसी खाली भूखण्ड के स्वामित्व सम्बंधी दस्तावेज यदि धारित करते हों, उन्हें अपने दस्तावेजों अर्थात स्वामित्व विलेखों सहित ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.06.2025 को प्रस्तुत होने के लिये आमंत्रित किया गया था, परन्तु प्रार्थी ने अपना कथित भूखण्ड के सम्बंध में कोई क्लेम / दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने प्रशनगत भूखण्ड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने के उद्देश्य से यहां गोबर, कचरा, लकड़ियां डाल दी। इस पर प्रार्थी को ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 06.02.2026 को भिजवाया जो उसे दिनांक 10.02.2026 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् पुनः द्वितीय नोटिस

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कमांक 408/2026 दिनांक 18.03.2026 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जो उसने जानबूझकर प्राप्त नहीं किया। ऐसा नोटिस का एन्वेलेप इस नोट से वापिस आया कि प्रार्थी बाहर गया हुआ है, जबकि प्रार्थी घर पर ही था। तत्पश्चात् प्रार्थी बलवीर सिंह को तृतीय नोटिस कमांक 1/ 26–27 दिनांक 01.04.2026 को उसके द्वारा इस बीच अस्थाई छपरा बनाने पर दिया जो रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया जो उसे प्राप्त हो गया। प्रार्थी ने इन नोटिसों का कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थी ने निगरानी में महज दिनांक 06.02.2026 के नोटिस का हवाला दिया है बाद में भेजे गये नोटिस जो प्रार्थी को मिले, का कोई हवाला असद्भावनापूर्वक नहीं दिया। प्रार्थी का इस भूखण्ड पर पुराना कब्जा न होकर बल्कि हाल ही में माह फरवरी 2026 में एक टूटी फूटी सरकनों व प्लास्टिक पेपर लगाकर एक संरचना खड़ी कर दी ताकि अपना कब्जा दिखलाया जा सके, परन्तु ऐसा कोई कब्जा होना नहीं माना जा सकता है। वादाधीन स्थल पंचायत के द्वारा स्थापित किये गये बोरवेल के समीपस्थ है जो पंचायत के अन्य जन उपयोगी योजनाओं के लिये आवश्यक है। पंचायत द्वारा अभी इस भूखण्ड को विक्रय करने की कोई योजना नहीं है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत के किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं को गरीब अनुसूचित जाति का सदस्य होना बतलाकर न्यायालय की संवेदना बटोरने का असफल प्रयास किया है। प्रार्थी के पास इस भूखण्ड के पास ही गली में खुलता हुआ रिहायशी मकान है। प्रार्थी वहीं निवास करता है। वादाधीन भूखण्ड में कभी भी पशुपालन की गतिविधियां नहीं रही है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के विरूद्ध विधि सम्मत बेदखली की कार्यवाही जो विधि द्वारा विहीत है, की पालना करते हुए सम्पादित की गई है। ऐसी कार्यवाही जबरन न होकर विधि अनुसार की गई है। ग्राम पंचायत का प्रार्थी के साथ कोई द्वेष नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत जो आबादी भूमि की न्यासी है, को आबादी भूमि पर होने वाले अतिक्रमणों को हटाकर अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों, कारीगरों अथवा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों अथवा जन उपयोगी योजनाओं को क्रियान्वियत कर आमजन के हितों के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है जैसा कि पूर्व में अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी का एक पक्का रिहायशी मकान, पक्का भादवां गांव के वार्ड नम्बर 2 में स्थित है जिसका बहुत अधिक क्षेत्रफल है। प्रार्थी के मकान जहां वह परिवार सहित रिहायश करता है, की फोटो भी पेश की जा रही है जिसे देखने से ही पता चलता है कि प्रार्थी अत्यधिक धनी व्यक्ति है। उपरोक्त हालात के मध्यनजर प्रार्थी ग्राम पंचायत जो कि एक विधिक व्यक्ति व स्थानीय निकाय है, के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेंदन किया कि निगरानी खारिज फरमायी जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1. AIR Online 2019 SC 59
2. 2019 (Suppl.) CCC 504 (S.C.)
3. 2020 (4) CCC 759 (P&H)
4. WLN(UC)1980 Page 424 (Raj. HC)
5. AIR 2006 Karnatka Page 114
6. AIR 2024 MP Page 95
7. AIR 1986 Karnatka Page 77
8. AIR 2002 Allahabad Page 271

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

1. कार्यालय ग्राम पंचायत पक्का भादवां पंचायत समिति हनुमानगढ़ के पत्रांक 385/25–26 दिनांक 06.02.2026 एवं 408/25–26 दिनांक 18.03.2026 से बलवीर सिंह पुत्र चिड़िया सिंह जाति मेहरा निवासी पक्का भादवा के नाम नोटिस जारी किया की "ग्राम पंचायत की खाली जगह पर बोरवेल के पास कचरा, गोबर की खाद व लकड़ी डालकर व अस्थाई झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है"। निगरानीकर्ता के पास उक्त अतिकमित जगह के संबंध में कोई पटटा या अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत व इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
2. निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता केवल मौखिक कथन एवं कथित कब्जे के आधार पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि "स्वामित्व के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है, किसी वास्तविक मालिक या स्वामित्व धारक विरूद्ध किसी अतिचारी या गैरवासी कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)